## जत्तर प्रदेश शासन आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग—3 संख्या—आई / 1130634 / 2025—8—3099 / 406 / 2023 पार्ट—1 लखनऊ: दिनॉक: 04 नवम्बर, 2025

## अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या—11 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा(2) के साथ पठित धारा 55 की उपधारा(2) के खण्ड(ग) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (समाघात शुल्क का निर्धारण, उद्ग्रहण और संग्रहण) नियमावली, 2024 में संशोधन किये जाने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं, अर्थात्:—

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (समाघात शुल्क का निर्धारण, उद्ग्रहण और संग्रहण) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2025

संक्षिप्त नाम,	1.	(1)	यह नियमावली उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास
प्रारम्भ और लागू	11	1	(समाघात शुल्क का निर्धारण, उद्ग्रहण और संग्रहण)
1111	, ,		(प्रथम संशोधन) नियमावली, 2025 कही जायेगी।
, ,		(2)	यह सरकारी गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से
. "	1		प्रवृत्त होगी।
F		(3)	यह उत्तर प्रदेश राज्य में समस्त विकास क्षेत्रों पर लागू
			होगी।

नियम 2 का संशोधन उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (समाघात शुल्क का निर्धारण, उद्ग्रहण और संग्रहण) नियमावली, 2024 (जिसे आगे "उक्त नियमावली" कहा गया है) में, नीचे स्तम्भ—एक में दिये गये विद्यमान नियम—2 के स्थान पर स्तम्भ—दो में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थातः—

	ापन रख प्रिया जायना, जनार्							
		स्तम्भ-एक		स्तम्भ-दो				
	विद्यमान नियम				एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम			
2(1)	(क)	'अधिनियम' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति		2(1)	(ক)	'अधिनियम' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 11 सन् 1973) से हैं;		
.		अधिनियम संख्या 11 सन् 1973) से हैं;			(ख)	"आवेदक" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 14 में निर्दिष्ट अनुज्ञा प्राप्त करने के लिये अधिनियम		
	(ख)	"आवेदक" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 14 में निर्दिष्ट अनुज्ञा				की धारा 15 के अधीन आवेदन करने वाले किसी व्यक्ति या निकाय से है;		
		प्राप्त करने के लिये अधिनियम की धारा 15 के अधीन आवेदन करने वाले किसी व्यक्ति या			(ग)	''अनुमोदन'' का तात्पर्य प्राधिकरण द्वारा दिये गये अनुमोदन से है;		
	(TI)	निकाय से है; । "अनुमोदन" का तात्पर्य			(ঘ)	"प्राधिकरण" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 4 के अधीन गठित विकास प्राधिकरण से है;		
	(ग)	प्राधिकरण द्वारा दिये गये अनुमोदन से है;			(ভ.)	"भवन" का तात्पर्य किसी भी सामग्री से सन्निर्मित संरचना, जो किसी भी प्रयोजन के लिए, चाहे वह		
	(ঘ)	"प्राधिकरण" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 4 के अधीन				मानव निवास के लिए उपयोग की जाती है या नहीं, से है और इसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं:		
		गठित विकास प्राधिकरण से है;				(एक) नीव, प्लिंथ, दीवारें, फर्श (फ्लोर), छत,		

	(ভ.)	"भवन" में कोई संरचना, निर्माण अथवा संरचना या निर्माण का			चिमनी, प्लंबिंग और बिल्डिंग सेवाएं, स्थायी प्लेटफॉर्म आदि;
		भाग सम्मिलित है, जो आवासीय, औद्योगिक, वाणिज्यिक या अन्य			(दो) बरामदे, बालकनी, कॉर्निस, प्रोजेक्शन्स आदि:
		प्रयोजनों के लिये उपयोग किये जाने हेतु आशयित है भले ही वह वास्तविक उपयोग में हो या न			(तीन) भवन के भाग या उनसे जुड़ी हुई कोई संरचनाः
	(च)	हो; "निर्मित क्षेत्रफल" का तात्पर्य किसी विकास क्षेत्र के भीतर			(चार) किसी भी भूमि या स्थान, संकेतक और बाहरी प्रदर्शन संरचनाओं को घेरने (इन्क्लोज़्ड करने) वाली या घेरने हेतु आशयित कोई दीवार आदि:
		प्राधिकरण द्वारा महायोजना में निर्मित क्षेत्र के रूप में चिन्हित या इस प्रकार वर्णित किसी क्षेत्र से है;			(पाँच) द्रव रूप में रसायनों या रसायनों के भंडारण के लिए निर्मित या निश्चित किए गए टैंक एवं जल के भंडारण के लिए तथा जल, उत्प्रवाह, तरणताल (स्विमिंग पूल), जलाशय आदि;
	(छ)	[आच्छादित क्षेत्रफल" का तात्पर्य किसी भवन के समस्त तलों पर निर्मित क्षेत्रफल से है;			(छह) अस्थायी उद्देश्यों (तीन माह से कम के लिए) तथा औपचारिक अवसरों के लिए अस्थायी रूप से स्थापित तंबू (टेंट), शामियाना एवं तिरपाल् आश्र्य
	(ज)	"विकास" का तात्पर्य इसके व्याकरणिक रूपभेदों और संकेतों सहित किसी भूमि में या उसके ऊपर या उसके नीचे निर्माण,			को छोड़कर, 'उपयोग समूह या अधिभोग' के अधीन परिभाषित या 'डिजाइन, ऊंचाई या अन्य विशेषताओं' के आधार पर सभी प्रकार के भवनों को 'भवन' माना जाएगा;
		अभियांत्रिकी, खनन या अन्य संक्रिया करना या किसी भवन या भूमि में कोई तात्विक परिवर्तन करने से है और इसमें पुन विकास भी सम्मिलित है;		(ঘ)	(एक) महायोजना के सन्दर्भ में "निर्मित क्षेत्र (महायोजना)" का तात्पर्य विकास क्षेत्र के भीतर स्थित ऐसे सघन आबादी वाले क्षेत्र से है, जिसमें से अधिकांश क्षेत्र को वाणिज्यिक, औद्योगिक, आवासीय या अन्य क्षेत्रों के रूप में विकसित किया गया हो। यहाँ सड़क, जलापूर्ति, सीवरेज, विदुयुत
	(झ)	विकास क्षेत्र" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 3 के अधीन घोषित किसी विकास क्षेत्र से है;			आपूर्ति आदि जैसी सभी आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध होती हैं और प्राधिकरण द्वारा अपनी महायोजना के अधीन निर्मित क्षेत्र के रूप में चिन्हांकित हैं:
	(퍼) ·	"सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है;			(दो) भवन सन्निर्माण के सन्दर्भ में "निर्मित क्षेत्र (भवन)" का तात्पर्य किसी अचल संपत्ति या भवन
	(군)	ंभूमि उपयोग अधिक्रम" का तात्पर्य परिक्षेत्रीयकरण विनियमावली में आधारित			के सभी तलों पर कुल आच्छादित क्षेत्र से है;
		निम्नतर से उच्चतर तथा उच्चतर से निम्नतर विभिन्न भूमि उपयोग के क्रम से है;		(छ)	"विकास" का तात्पर्य इसके व्याकरणिक रूपभेदों और संकेतों सहित किसी भूमि में या उसके ऊपर या उसके नीचे निर्माण, अभियांत्रिकी, खनन या अन्य संक्रिया करना या किसी भवन
	(ਰ)	"समाघात शुल्क" का तात्पर्य परिक्षेत्रीयकरण विनियमावली के			या भूमि में कोई तात्विक परिवर्तन करने से है और इसमें पुनः विकास भी सम्मिलित है;
		अनुसार निम्नतर भूमि उपयोग में   उच्चतर उपयोग या क्रियाकलाप के लिये अनुज्ञा प्राप्त करने के		(ज)	"विकास क्षेत्र" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 3 के अधीन घोषित किसी विकास क्षेत्र से है;
!		लिये अधिनियम की धारा 15 की उपधारा(2) के अधीन किसी		(झ)	"सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है;
_		व्यक्ति या निकाय से उद्गृहीत किये जाने वाले शुल्क से है;		(স)	"भूमि उपयोग अधिक्रम" का तात्पर्य परिक्षेत्रीयकरण विनियमावली में आधारित निम्नतर से उच्चतर तथा उच्चतर से निम्नतर
	(ভ)	"अभिन्यास रेखांकन" का तात्पर्य  सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित  उपविभाजन रेखांकन से है  जिसमें विकय या अन्यथा		(ਟ)	विभिन्न भूमि उपयोग के क्रम से है;  "समाघात शुल्क" का तात्पर्य परिक्षेत्रीयकरण विनियमावली के अनुसार निम्नतर भूमि उपयोग
		प्रयोजन के लिये किसी भूमि या उसके किसी भाग का विभाजन एक से अधिक भू—खण्ड या भूमि			में उच्चतर उपयोग या क्रियाकलाप के लिये अनुज्ञा प्राप्त करने के लिये अधिनियम की धारा 15 की उपधारा(2) के अधीन किसी व्यक्ति या
		के खण्ड में प्रदर्शित किया गया हो;			निकाय से उद्गृहीत किये जाने वाले शुल्क से है;

(ढ)	"भूमि उपयोग" का तात्पर्य भूमि के ऐसे उपयोग से है जिसके लिये महायोजना या परिक्षेत्रीय विकास योजना या अभिन्यास रेखांकन के उपबंधों के अनुसार भूमि या भवन का उपयोग किया जाता है या उपयोग किये जाने के लिये आशयित है;
(ण)	"महायोजना" का तात्पर्य अधिनियम के उपबंधों के अनुसार तैयार की गयी प्राधिकरण की अधिकारिता के भीतर भूमि के विकास के लिये किसी योजना से है;
(ন)	"स्वामी" में कोई ऐसा व्यक्ति सम्मिलित है जिसका नाम संबंधित प्राधिकरण के अभिलेखों में भूमि या भवन या इसके भाग के स्वामी के रूप में अभिलिखित हैं;
(થ)	"धारा" का तात्पर्य अधिनियम की किसी धारा से है;
(द)	"सशर्त अनुमन्य उपयोग" का तात्पर्य ऐसे उपयोग अथवा क्रियाकलाप से है जिसकी अनुमति किसी विशिष्ट भूमि उपयोग में परिक्षेत्रीयकरण विनियमावली में दिये गये निबंधनों और शर्तो के अनुपालन के अध्यधीन दी जाय;
( <b>घ</b> )	"सामान्यतः अनुमन्य उपयोग' का तात्पर्य ऐसे भूमि उपयोग या कियाकलाप से है जिसकी अनुमति किसी विशिष्ट भूमि उपयोग में परिक्षेत्रीयकरण विनियमावली के अनुसार बिना किसी शर्त के दी जाय;
(ন)	"विशेष अनुमित के साथ अनुमन्य उपयोग" का तात्पर्य ऐसे उपयोग या क्रियाकलाप से है जिसकी अनुमित विशिष्ट उपयोग में प्राधिकरण के बोर्ड के अनुमोदन से दी जाए;
(ч)	"परिक्षेत्रीयकरण विनियमावली" का तात्पर्य किसी महायोजना या क्षेत्रीय विकास योजना में विभिन्न भूमि उपयोग में अनुमन्य उपयोग या क्रियाकलापों को विहित करते हुये भूमि उपयोग का परिक्षेत्रीयकरण और विनियम बनाने से है;
(फ)	"परिक्षेत्रीय विकास योजना" का तात्पर्य अधिनियम के उपबंघों के अनुसार तैयार की गयी किसी परिक्षेत्र की योजना से है;

(ਰ)	"अभिन्यास रेखांकन/उप विभाजन रेखांकन" का तात्पर्य किसी भूमि या उसके किसी भाग के विक्रय या अन्यथा हेतु एक से अधिक भूखंडों में उप- विभाजित करने से है, जिसमें सड़कों का विन्यास, भूखंडों की माप सेट-बैक लाइन के साथ एवं विकास की विधि (जैसे रो-हाउसिंग, सेमी-डीटैच्ड ग्रुप हाउसिंग) दर्शायी गई हो तथा सभी भूखंडों के आकार, उपयोग, क्षेत्रफल का विवरण दिया गया हो:
(ৰ)	"भूमि उपयोग" का तात्पर्य भूमि के ऐसे उपयोग से है जिसके लिये महायोजना, परिक्षेत्रीय विकास योजना या अनुमोदित अभिन्यास रेखांकन के उपबंधों के अनुसार भूमि या भवन का उपयोग किया जाता है या उपयोग किये जाने के लिये आशयित है;
(ਫ)	"महायोजना" का तात्पर्य अधिनियम के उपबंधों के अनुसार तैयार की गयी प्राधिकरण की अधिकारिता के भीतर भूमि के विकास के लिये किसी योजना से हैं;
(আ)	"अनिर्मित क्षेत्र" का तात्पर्य ऊपर परिभाषित निर्मित क्षेत्र (महायोजना) के अतिरिक्त अन्य क्षेत्र से हैं,
(ন)	"स्वामी" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से हैं, जिसका किसी भूमि या भवन पर विधिक अधिकार हो या जो किराया प्राप्त करता हो या परिसर किराए पर होने की दशा में किराया प्राप्त करने का हकदार है एवं इसमें निम्नलिखित भी सम्मिलित होंगेः (एक) कोई अभिकर्ता या व्यक्ति, जो स्वामी की
	और से किराया प्राप्त करता हो;
	(दो) कोई अभिकर्ता या व्यक्ति जो किराया प्राप्त करता हो या जिसे धार्मिक या धर्मार्थ प्रयोजन के लिए किसी भूमि या भवन का प्रबंधन सुपुर्द किया गया हो:
	(तीन) किसी सक्षम प्राधिकार युक्त न्यायालय द्वारा नियुक्त कोई रिसीवर या प्रबंधक, जिसे परिसर में स्वामी के अधिकारों का प्रयोग करने का प्रभार/प्राधिकार दिया गया है;
(থ)	"अनुज्ञात" का तात्पर्य ऐसे उपयोग या क्रियाकलाप से हैं जिसकी अनुमति किसी विशिष्ट भूमि उपयोग में परिक्षेत्रीयकरण विनियमावली के अनुसार बिना किसी शर्त के दी जाय;
(द)	"सशर्त अनुज्ञात" का तात्पर्य ऐसे उपयोग अथवा क्रियाकलाप से है जिसकी अनुमति किसी विशिष्ट भूमि उपयोग में परिक्षेत्रीयकरण विनियमावली में दिये गये निबंधनों और शर्तों के अनुपालन के अध्यधीन दी जाय;
(घ)	"धारा" का तात्पर्य अधिनियम की किसी धारा से है;
(न)	"परिक्षेत्रीय विकास योजना" का तात्पर्य ऐसी योजना से है, जो अधिनियम की धारा 9 के अधीन ऐसे परिक्षेत्रों के विकास हेतु निरूपित की गई हो, जो प्राधिकरण की अधिकारिता के अधीन विकास क्षेत्र के भाग हों

(a) 2. (2)	"परिक्षेत्र" का तात्पर्य उन खण्डों में से किसी एक से है जिसमें इस अधिनियम के अधीन विकास के प्रयोजनों के लिये विकास क्षेत्र का विभाजन किया जा सकेगा। इस नियमावली में अपरिभाषित परन्तु अधिनियम में परिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो उनके लिये अधिनियम में क्रमशः समनुदेशित हैं।	(प) (फ)	"परिक्षेत्र" का तात्पर्य उन खण्डों में से किसी एक से है जिसमें इस अधिनियम के अधीन विकास के प्रयोजनों के लिये विकास क्षेत्र का विभाजन किया जा सकेगा; "परिक्षेत्रीयकरण विनियमावली" का तात्पर्य किसी महायोजना, क्षेत्रीय विकास योजना या अनुमोदित ले—आउट योजना में विभिन्न भूमि उपयोग में अनुमन्य उपयोग या क्रियाकलापों को विहित करते हुये भूमि उपयोग का परिक्षेत्रीयकरण और विनियम बनाने से है;
		(2)	इस नियमावली में अपरिभाषित परन्तु अधिनियम में परिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो उनके लिये अधिनियम में क्रमशः समनुदेशित हैं।

नियम 3 का 3. उक्त नियमावली में नियम—3 के उपनियम—(1) में— संशोधन (क) नीचे स्तम्भ—एक में दिये गये खण्ड—(क) के स्थान पर स्तम्भ—दो में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्ः—

	स्तम्भ-एक	स्तम्भ-दो		
	विद्यमान खण्ड	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड		
(क)		(क) ऐसे उपयोग या क्रियाकलाप के लिये जो निर्मित क्षेत्र में "सामान्यतः" या "सशर्त" अनुमन्य हैं;		

(ख) नीचे स्तम्भ-एक में दिये गये खण्ड (च) के स्थान पर स्तम्भ-दो में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-एक	स्तम्भ–दो		
विद्यमान खण्ड	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड		
(च) क्षेत्र या भूमि खण्ड जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत किसी विन्यास मानचित्र का भाग नहीं बनाते हैं;	(च) निकाल दिया गया		

नियम 4 का 4. उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-एक में दिये गये नियम-4 के संशोधन स्थान पर स्तम्भ-दो में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-एक	स्तम्भ-दो
विद्यमान नियम	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम

- 4(1) जहां नियम 3 के अधीन कोई आवेदन प्रस्तुत किया गया है, वहां जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी, भूमि के विद्यमान उपयोग के वर्तमान सर्किल दर के आधार पर भूमि खण्ड के कुल क्षेत्रफल पर समाघात शुल्क का निर्धारण और संग्रह किया जायेगा।
- (2) विभिन्न उपयोगों और क्रियाकलापों के लिये समाघात शुल्क का निर्धारण नीचे सारणी में दिये गये विविध भूमि उपयोगों के लिये विहित 'समाघात शुल्क सह—कुशल' आधार पर किया जायेगाः—

भूमि उपयोग परिक्षेत्र (निम्नतर से उच्चतर)

क. सं	उपयोग/किया कलाप (निम्न से उच्च)	सृषि, इरि त पट्टी/ सीमा, पा स्री और खे त सा मेव ान	सार्वजनि क और जदं सा वंजनिक सुविधा रं	यातायात और प्री रवहन	बंदिनिक	क्षावासी य और गांव की जाबादी	कार्यालय	बाविधिक
		1	2	3	4	5	6	7
1	कृषि, हरित पट्टी / सीमा, पार्क और खेल का मैदान	लागू नहीं	भुगतान देय नहीं	मुगताम देय नहीं	मुगतान देय महीं	मुगतान देय नहीं	मुगतान देय नहीं	भुगताम देख नहीं
2	सार्वजनिक और अर्द्ध सार्वजनिक सुविधाय	0.25	लागू नहीं	भुगतान देव नहीं	भुगतान देय नहीं	0.25	भुगतान देय नहीं	भुगतान देय नहीं
3	योतायात एव परिवहन	0.30	0.10	सागू नहीं	भुगतान देथ नहीं	030	भुगतान देव नहीं	मुगतान देव नहीं
4	औद्योगिक	0.40	0.25	0.25	सागू नहीं	040	भुगतान देव नहीं	मुगतान देव नहीं
5	आवासीयं	0 50	0.40	0. 40	0.25	सागू नहीं	भुगतान देय नहीं	मुगतान देय नहीं
6	कार्यालय	1,00	0.75	0.75	075	0.50	लागू नहीं	भुगतान देय नहीं
7	वाणिज्यिक	1.50	1.25	1.25	1.00	1.00	0.50	लाग् नहीं

- 4(1) जहां नियम 3 के अधीन कोई आवेदन प्रस्तुत किया गया है, वहां जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी, भूमि के विद्यमान उपयोग के वर्तमान सर्किल दर के आधार पर भूमि खण्ड के कुल क्षेत्रफल पर समाधात शुल्क का निर्धारण और संग्रह किया जायेगा। जहां ऐसी दर उपलब्ध नही है, वहां प्राधिकरण द्वारा अवधारित वर्तमान आवासीय दर लागू होगी।
- (2) विभिन्न उपयोगों और क्रियाकलापों के लिये समाधात शुल्क का निर्धारण नीचे सारणी में दिये गये विविध भूमि उपयोगों के लिये विहित 'समाघात शुल्क सह–कुशल' आधार पर किया जायेगाः–

<b>8</b> .सं.	उपयोग / केयाकताप	बीयू	ए/जी बी/आ रसी/ एचएफ	पीए सप ी	ਟੀਟੀ	एसआ इं/ए ल आ	आर / जीए	अर्ग यू	एमय्./ सी 1 / सी2
	(निम्न से उच्च)		1	2	3	4	5	6	7
1	कृषि, हरितं गर टी/सीमा, पार्क और खेल का मैदान		एनए	एनपी	एंनपी	एनपी	एनपी	एनपी	एनपी
2	सार्वजनिक और अर्द्ध सार्वजनि क सुविधायें		0.25(1)	एनए	एनपी	एनपी	0.25(1)	लपी	एनपी
3	यांतायात एवं प रिवहन	एनपी	0,3	01	एनए	एनपी	0.0	रनपी	एनमी
4	औद्योगिक	एनपी	0 4(2)	0. 25(2)	0. 25(2)	एमए	04	रनपी	एनपी
5	आवासीय (ग्रामीण सहित)	एनपी	0.5	04	04	0.25(3)	एनए	रनपी	एनपी
6	कार्यालय	एनपी	1.0	0,75	0.75	D,75	0.5	रनपी	एनपी
7	याणिज्यिक	एनपी	1.5	1.25	1.25	1.0	1,0	0.5	एनए

जहां		
奪.	संक्षिप्त	भूमि उपयोग परिक्षेत्र
1.	बीयू	निर्मित
2.	आर	आवासीय
3.	एमयू	मित्रित उपयोग
4.	सी1	याणिज्यिक (रिटेल / सीबीडी / सबसीबीडी / बाजार स्ट्रीट)
5.	सी2	वाणिज्यिक (होतसेल / गोडाउन / स्टोरेज)
6.	एसआई	औद्योगिक (लघु उद्योग)
7.	एलआई	औद्योगिक (वृहद उद्योग)
8.	ओयू	कार्यालय उपयोग
9.	पीएसपी	सार्वजनिक और अर्द्धसार्यजनिक सुविधाय
10.	<u>ਹੀ</u> ਣੀ	यातायात और परिवहन
11,	एक	फॉरेस्ट
12.	आरसी	मनोरंजनात्मक, (पार्क, रीजनल पार्क और खेल का मैदान)
13.	जीवी	हरित पट्टी / सीमा,
14.	जीए	ग्रामीण आबादी
15.	7	कृषि,
18.	एचएफ	हाईये फैरिलिटीज

समाघात शुल्क से छूट	
गैर-वाणिज्यिक तथा पूर्त (चैरिटेबल)	(1)
क्रियाकलाप / उपयोग (आयकर अधिनियम के	
अधीन पात्र)	
सेवा एवं कुटीर उद्योग	(2)
सम्बन्धित उपयोग के प्रयोजनार्थ समूह आवास	(3)

संकेत	
समाघात शुल्क लागू नहीं	एनए
समाघात शुल्क देय नहीं	एनपी

- सूत्र के अनुसार की जायेगी:-
- (क) ऐसे उपयोगों और क्रियाकलापों के लिये जो 'सामान्यतया' या 'सशर्त' अनुमन्य हैं:

भूखण्ड क्षेत्रफल x सर्किल दर x समाघात शुल्क सह–कुशल x 0.25

(ख) ऐसे उपयोगों और क्रियाकलापों के लिये जो प्राधिकरण के बोर्ड के अनुमोदन से विशेष अनुमति से अनुमन्य हैः

भूखण्ड क्षेत्रफल x सर्किल दर x समाघात शुल्क सह—कुशल **x** 0.50

5.

(3) समाघात शुल्क की गणना निम्नलिखित (3) ऐसे उपयोगों और क्रियाकलापों के लिये जो 'सामान्यतया' या 'सशर्त' अनुमन्य हैं के लिए समाघात की शुल्क निम्नलिखित सूत्र के अनुसार की जायेगी:-भूखण्ड क्षेत्रफल x सर्किल दर x समाघात शुल्क सह–कुशल x 0.25

नियम 5 का संशोधन

उक्त नियमावली में नियम-5 में-(क) नीचे स्तम्भ-एक में दिये गये उपनियम (1) के स्थान पर स्तम्भ-दो में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-एक	स्तम्भ-दो
विद्यमान उपनियम	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम
(1) सभी प्रकार के उपयोगों और क्रियाकलापों के लिये चाहे "सामान्यतया" या "सशर्त" या "विशेष अनुमति से" अनुमन्य है, प्राधिकरण आम जनता से आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित करते हुए विकास क्षेत्र में प्रसार वाले कम से कम दो समाचार पत्रों में एक नोटिस प्रकाशित करायेगा। आपत्तियां और सुझाव प्रस्तुत करने के लिये न्यूनतम अवधि नोटिस के प्रकाशन के दिनांक से 30 दिनों की होगी।	(1) सभी प्रकार के उपयोगों और क्रियाकलापों के लिये चाहे "सामान्यतया" या "सशर्त" अनुमन्य है, प्राधिकरण आम जनता से आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित करते हुए विकास क्षेत्र में प्रसार वाले कम से कम दो समाचार पत्रों में एक नोटिस प्रकाशित करायेगा। आपत्तियां और सुझाव प्रस्तुत करने के लिये न्यूनतम अवधि नोटिस के प्रकाशन के दिनांक से 15 दिनों की होगी।

(ख) नीचे स्तम्भ-एक में दिये गये उपनियम-(3) के स्थान पर स्तम्भ-दो में दिया गया उप नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:--

	स्तम्भ-एक	स्तम्भ-दो
	विद्यमान उपनियम	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम
(3)	उपयोग के संबंध में अनुमोदन के मामले में उपाध्यक्ष और 'विशेष	

संबंध में अनुमोदन के मामले में लिये आवेदक को 15 दिनों के भीतर माँग प्राधिकरण, जैसा भी मामला हो, समाघात शुल्क की धनराशि की गणना करेगा और इसका संदाय करने के लिये आवेदक को 15 दिनों के भीतर डिमान्ड नोटिस जारी की जायेगी।

नियम 6 का 6. उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-एक में दिये गये नियम-6 संशोधन के उपनियम (1) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-एक	स्तम्भ–दो
विद्यमान उपनियम	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम
(1) अधिनियम और इस नियमावली के उपबन्धों के अध्यधीन अनुमोदन की स्वीकृति से पूर्व यथास्थिति उपाध्यक्ष या प्राधिकरण द्वारा जारी डिमाण्ड नोटिस के अनुसार आवेदक समाघात शुल्क की पूरी धनराशि का संदाय करेगा।	उपबन्धों के अध्यधीन, अनुमोदन की स्वीकृति से पूर्व उपाध्यक्ष द्वारा जारी माँग नोटिस के अनुसार, आवेदक समाघात शुल्क की पूरी धनराशि का संदाय करेगा।

पी0 गुरूप्रसाद प्रमुख सचिव

<u>संख्या—आई / 1130634(1) / 2025—8—3099 / 406 / 2023 पार्ट—1—तद्</u>दिनांक

प्रतिलिपि:— संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना को दिनांक 04.11.2025 के असाधारण गजट विधायी परिशिष्ट भाग—4 खण्ड—क में प्रकाशित कराते हुए 5—5 प्रति सम्बन्धित विभागों तथा 100 प्रतियां आवास एवं शहरी नियोजन विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से, राजेश कुमार राय विशेष सचिव

संख्या-आई / 1130634(2) / 2025-8-3099 / 406 / 2023 पार्ट-1-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :--

- 1. अपर मुख्य सचिव / प्रमुख, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 2. अपर मुख्य सचिव / प्रमुख, मा० मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 3. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ।
- 4. कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
- अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 6. समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तर प्रदेश, शासन लखनऊ।

- 7. आवास आयुक्त, उत्तर प्रदेश, आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
- 8. मण्डलाय्यक्तं, समस्त मण्डलं, उत्तर प्रदेश।
- 9. समस्त जिलाधिकारी / नियंत्रक प्राधिकारी, विनियमित क्षेत्र, उत्तर प्रदेश।
- 10. उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
- 11. सचिव, उत्तर प्रदेश भू-सम्पदा विनियामंक प्राधिकरण, लखनऊ।
- 12. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, समस्त औद्योगिक विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
- 13. मुख्य नैगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- 14. समस्त अनुभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन।
- 15. निदेशक, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि अधिसूचना की प्रति आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशित कराने का कष्ट
- 16. गार्ड फाइल।

आज्ञा से.

Digitally signed by GIRISH CHANDRA MISHRA **श्विक्षिश**िचन्द्र 2मिश्र)

#### Uttar Pradesh Shasan Aawaas evam Shahri Niyojan Anubhag-3

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification no. I/1.1.3.0634/2025/8-3099/406/2023 Part-1dated .o.4. Nev. October, 2025.

### **Notification**

No.J/113063\/2025/8-3099/406/2023 Part-1 Lucknow; Dated: 04 No October, 2025.

In exercise of the powers under clause (c) of sub-section (2) of section 55 read with sub-section (2) of section 15 of the Uttar Pradesh Urban Planning and Development Act, 1973 (President's Act no. 11 of 1973) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no. 1 of 1904), the Governor is pleased to make the following rules with a view to amend the Uttar Pradesh Urban Planning and Development (Assessment, Levy and Collection of Impact Fee) Rules, 2024:-

The Uttar Pradesh Urban Planning and Development (Assessment, Levy and Collection of Impact Fee) (First Amendment) Rules, 2025

Short title, commencement and application	1.	(1)	These rules may be called the Uttar Pradesh Urban Planning Development (Assessment, Levy and Collection of Impact F (First Amendment) Rules, 2025		
r		(2)	They shall come into force with effect from the date of their publication in the official Gazette.		
		(3)	They shall be applicable to all the development areas in the State of Uttar Pradesh.		

An	nendm Rule		2. In the Uttar I	In the Uttar Pradesh Urban Planning and Development (Assessment, Levy and Collection of Impact Fee) Rules, 2024 (hereinafter referred				
	14010		to as the "said	rules")	for th	e existing rule 2 set out in Column-1 below,		
		į.	the rule as set	out in (	Colum	n-II shall be substituted, namely:-		
		Colum	nn-I		Column-II			
		Existing	g rule	I		Rule as hereby substituted		
2(1)	(a)	and	urban Planning Development (President's Act	2(1)	(a)	"Act" means the Uttar Pradesh Urban Planning and Development Act, 1973 (President's Act no. 11 of 1973);		
	(b)	person or	1973); nt" means any r body making an on under section	cans any y making an	(b)	"Applicant" means any person or body making an application under section 15 of the Act to obtain permission referred to in section 14 of the Act;		
		permissio	e Act to obtain on referred to 14 of the Act;		(c)	"Approval" means approved by the Authority;		
	(c)	"Approva	al" means I by the Authority;		(d)	"Authority" means the development authority constituted under section 4 of the Act;		
	(d)	developn	ty" means the nent authority ed under section 4 ct;		(e)	"Building" means a structure constructed with any materials whatsoever for any purpose, whether used for human habitation or not.		

		T (")		
(c	structure or erection or part of a structure or erection which is intended to be used for residential, industrial, commercial or other purposes, whether in actual use or not;  "Built-up area" means the			and includes: (i) foundation, plinth, walls, floors, roofs, chimneys, plumbing and building services, fixed platforms etc., (ii) verandahs, balconies, cornices, projections etc., (iii) parts of a building or anything affixed thereto; (iv) any wall enclosing or intended to enclose any land or space, sign and outdoor display structures; etc., (v) tanks
	area within a development area as earmarked in the master plan or has been delineated as such by the Authority;			constructed or fixed for storage of chemicals or chemicals in liquid form and for storage of water, effluent, swimming pool, ponds etc., (vi) all types of buildings as defined under the 'use group or occupancy' or
(g)	"Covered Area" means the total built-up area on all the floors of a building:			based on 'design, height or other features', except tents, shamianas and tarpaulin shelters erected temporarily
(h)	grammatical variations and connotations, means the carrying out of			for temporary purposes (for less than three months) and ceremonial occasions, shall be considered to be "buildings".
	building, engineering, mining or other operations in, on, over or under land or the making of any material change in any building or land, and includes re-development;		<b>(f)</b>	(f)(i) "Built up area (Master Plan)" in the context of Master Plan means such densely populated area situated within the development area, most of which has been developed as commercial, industrial, residential, or other areas. Here, all the necessary
(i)	"Development Area" means the area declared as development area under section 3 of the Act;		-	facilities like road, water supply, sewerage, electricity supply etc. are available and have been demarcated as built-up area by the authority under its master plan.
(0)	overnment of Uttar Pradesh:			(ii) Built-up area (Building)" in the context of building construction refers to the total covered area on all floors of an immovable property or building.
(k)	"Hierarchy of land uses" means order of various land uses from lower to higher and viceversa as determined in the zoning regulations:		(g)	"Development" with its grammatical variations and connotations, means the carrying out of building, engineering, mining or other operations in. on, over or under land or the making of any
(1)	"Impact Fee" means a fee levied upon a person or a body under sub-section (2)		<b>(b)</b>	and includes re-development;
	of section 15 of the Act for seeking permission for a higher use or activity in a		(h)	"Development Area" means the area declared as development area under section 3 of the Act;
	lower land use in accordance with the zoning regulations;		(i)	"Government" means the Government of Uttar Pradesh;
(m)			(j)	"Hierarchy of land uses" means order of various land uses from lower to

	•			
ed	bŷ	Ī	1	
ho	ritv	۱	H	

	٦,	•		
	division plan approved by the competent authority showing division of any		·	higher and vice-versa as determined in the zoning regulations;
	land or portion thereof into more than one plot or parcel for the purpose of sale or otherwise;		(k)	"Impact Fee" means a fee levied upon a person or a body under sub-section (2) of section 15 of the Act for seeking permission for a higher use or activity in a lower land use in accordance with the
(n)	"Land use" means the use of land for which land or building is used or intended to be used as per the provisions of master plan or the zonal		(l)	zoning regulations;  "Lay-out plan/sub-division plan" means sub-dividing of any land or part thereof into more than one plot for sale or otherwise, in which the
	plan or the zonal development plan or the layout plan;			configuration of roads, measurement of plots along with set-back lines and method of development (e.g. row-
(0)	"Master Plan" means a plan for the development of land within the jurisdiction of the Authority prepared in accordance with the			housing, semi-detached, detached group housing) should be shown and details of size, use, area of all the plots should be given
(p)	provisions of the Act;  "Owner" includes any		(m)	"Land use" means the use of land for which land or building is used or intended to be used as per the
, p	person whose name is recorded as owner of the land or building or part thereof in the records of the		provisions of mast development	provisions of master plan, the zonal
(q)	concerned Authority;  "Section" means a section of the Act;		(n)	"Master Plan" means a plan for the development of land within the jurisdiction of the Authority prepared in accordance with the provisions of the Act:
(r)	"Use permissible conditionally" means the use or activity which may be permitted in a particular		(0)	"Non-Built-up area" is the area other than Built-up area (Master Plan) defined above.
	land use subject to compliance of terms and conditions laid down in the zoning regulations;		(p)	"Owner" means a person who has legal rights over any land or building or receives rent or is entitled to receive rent in case the premises are
(s)	"Use permissible generally" means use or activity which may be permitted in a particular land use without any condition in accordance with the zoning regulations;			on rent and will also include the following: (1) Any agent or person who receives rent on behalf of the owner, (2) Any agent or person who receives rent or is entrusted with the management of any land or building for religious or charitable purposes, (3) Any receiver or manager appointed by a court of competent
(t)	"Use permissible with special permission" means use or activity which may be permitted in a particular			authority who has been given the charge/authority of exercising the rights of the owner in the premises.
	land use with the approval of the Board of the Authority;		( <b>q</b> )	"Permitted" means use or activity which may be permitted in a particular land use without any condition in accordance with the

	(u)	"Zoning			zoning regulations.	
		regulations" means zoning of land use and regulations prescribing the uses or activities permissible in different land uses in a master plan or a zonal development plan;			(r)	"Permitted with conditions" means the use or activity which may be permitted in a particular land use subject to compliance of terms and conditions laid down in the zoning regulations
	(v)	"Zonal Development		(s)	"Section" means a section of the Act:	
		Plan" means a plan of a zone prepared in accordance with the provisions of the Act:		(t)	"Zonai Development Plan" means a Plan formulated under Section 9 of the Act for development of zones which are part of the development	
	(w) "Zone" means any of the divisions in which a		area under the jurisdiction of Authority.			
		development area may be divided for the purposes of development under the Act.		(u)	"Zone" means any of the divisions in which a development area may be divided for the purposes of development under the Act.	
2.	(2)	Words and expressions, not defined in these rules but defined in the Act, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.		(v)	"Zoning regulations" means zoning of land use and regulations prescribing the uses or activities permissible in different land uses in a master plan, a zonal development plan or approved layout plan.	
				(2)	Words and expressions, not defined in these rules but defined in the Act. shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.	

# Amendment of Rule 3

- In the said rules in sub-rule(1) of rule 3,-
- (a) for clause (a) set out in Column-1 below, the clause as set out in Column-II shall be substituted, namely:-

	Column-I	Column-11
	Existing clause	clause as hereby substituted
(a)	For uses or activities which are permissible in the built-up area 'generally' or 'conditionally' or 'with special permission' of the Authority.	(a) For uses or activities which are permissible in the built-up area 'generally' or 'conditionally'.

(b) for clause (f) set out in Column-1 below, the clause as set out in Column-II shall be substituted, namely:-

Column-I Existing clause			Column-II clause as hereby substituted	
(f)	Areas or land parcels which do not form part of any layout plan sanctioned by the competent authority	<b>(f)</b>	Omitted	

Amendment of	4.	In the said rules for rule 4 set out in Column-1 below, the rule as set
Rule 4		out in Column-II shall be substituted, namely:-

#### Column-I

### Existing rule

#### Column-II

3, the impact fee shall be assessed and collected

on the gross area of the land parcel on the basis of

present circle rate of existing use of land issued

by the District Magistrate. Where such rate is not

available, the current residential rate determined

(2) Assessment of impact fee for different uses or

activities shall be carried out on the basis of

'impact fee co-efficient' prescribed for various

by the Authority, shall be applicable.

land uses as given in the table below:-

#### Rule as hereby substituted 4(1) Where an application is submitted under rule

- 4(1) Where an application is submitted under rule 3, the impact fee shall be assessed and collected on the gross area of the land parcel on the basis of present circle rate of existing use of land issued by the District Magistrate.
- (2) Assessment of impact fee for different uses or activities shall be carried out on the basis of 'impact fee co-efficient' prescribed for various land uses as given in the table below:-

Land Use Zones (Lower to Higher)

	Useractivity (Lower to Higher)			Fields Treefs.  and and barron Treespo Public (1 fuelds)	Podicity i	AL motorio of it littles o schools	(Official)	7
		1 2	2	3	4	5	. f	
1	Apricultur  e. Green beh/serge, parks & pluygroun ts	NA*	NP*	NP	NP	NP	-NP	NP
2	Public & Servi- public facilities	0.25	NA	NР	SP	0.25	NP	NP
3	Traffic & Transport	0,30	4010	NA.	NP	0:30	NP	NP
4	indenrial	0.40	0.25	0.25	NA	0.40	NF	NP
5	Residentia	0.50	0.40	0.40	0.25	NA	.NP	NΡ
t	Offices	1,00	0,75	0.75	0.75	0;50	ŅA	NP
7	Conuneres	1.50	1.25	1,23	1,00	1.00	0.5 0	NA

NA: Not Applicable

\*\*NP: Not Payable

KC0H Playground Public Sem 52 NA. NP o. 01 ŚŦ И 0.40 NA NP Ð. 1 Νń U.4 4 4 (3) NP. 1 Office Use

AA IIC	c
	_
i #	

#	Notation	Land Use Zone
1	BU	Built-up
2	R	Residential
3	MU	Mixed Use
4	Cı	Commercial I (Retail/ CBD/Sub CBD/ Bazaar Street)
.5	C2	Commercial 2 (Wholesale/ Godown / Storage)
6	SI	Small industries
7	LI	Large Industries
8	Oυ	Office Use
9	PSP	Public and Semi-public Facilities
10	TT	Truffic and Transportation
13	F	Fòresi
12	RC	Recreational (parks, regional parks, playgrounds)
13	ĢВ	Green Belt
14	GA	Grameen Abaadi
15	Α	Agriculture
16	HF	Highway Facilities

Exemption from Impact fee	
Non-commercial and Charitable Activities/ Uses (eligible under Income Tax Act)	(1)
Service and Cottage Industries	(2)
Group Housing for related use purposes	(3)

Symbol	
Impact fee not applicable	NA .
impact fee not payable	NP

- (3) Impact fee shall be calculated in accordance with the following formulae:
- (a) for uses or activities which are permissible 'generally' or 'conditionally':

#### Plot Area X Circle Rate X Impact Fee coefficient X 0.25

(b) for uses or activities which are permissible with special permission with the approval of the Board of the Authority:

Plot Area X Circle Rate X Impact Fee co-efficient X 0.50

Hill F

(3) Impact fee for uses or activities which are permissible 'generally' or 'conditionally' shall be calculated in accordance with the following formula:

Plot Area X Circle Rate X Impact Fee co-efficient X 0.25

# Amendment of Rule 5

- 5. In the said rules, in rule 5,-
- (a) for sub-rule(1) set out in Column-1 below, the sub-rule as set out in Column-II shall be substituted, namely:-

	Column-I Existing sub-rule	Column-II sub-rule as hereby substituted	
(1)	For all types of uses or activities, whether permissible 'generally' or 'conditionally' or 'with special permission', the Authority shall publish a notice in at least two newspapers having circulation in the development area inviting objections and suggestions from the public. The minimum duration for submission of objections and suggestions shall be 30 days from the date of publication of the notice.	(1) For all types of uses or activities, whether permissible 'generally' or 'conditionally', the Authority shall publish a notice in at least two newspapers having circulation in the development area inviting objections and suggestions from the public. The minimum duration for submission of objections and suggestions shall be 15 days from the date of publication of the notice.	

(b) for sub-rule(3) set out in Column-1 below, the sub-rule as set out in Column-II shall be substituted, namely:-

	Column-I	Column-II		
	Existing sub-rule	sub-rule as hereby substituted		
(3)	In case of approval in respect of the uses permissible 'generally' or 'conditionally' the Vice-Chairman and for the uses 'permissible with special permission' the Authority, as the case may be, shall calculate the amount of impact fee and issue demand notice within 15 days to the applicant for payment of the same.	(3) In case of approval in respect of the uses "permitted" or "permitted with conditions", the Vice-Chairman, shall calculate the amount of impact fee and issue demand notice within 15 days to the applicant for payment of the same.		

Amendment of Rule 6 In the said rules, for sub-rule(1) of rule 6 set out in Column-1 below, the sub-rule as set out in Column-II shall be substituted, namely:-

	Column-I	Column-II		
	Existing sub-rule	sub-rule as hereby substituted		
(1)	Subject to the provisions of the Act and these rules, the applicant shall pay the full amount of impact fee upfront as per the demand notice issued by the Vice-Chairman or the Authority, as the case may be, prior to grant of approval.	(1) Subject to the provisions of the Act and these rules, the applicant shall pay the full amount of impact fee upfront as per the demand notice issued by the Vice-Chairman, prior to grant of approval.		

By Order,
Digitally signed by
Guru Prasad Porala
(P. Oatap02sad)2025
Princp2153c26tary.